

फार्मेट III

वर्ष 2022-23/ 2023-24 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से ₹2 लाख तक संवितरित/आहरित पशुपालन (डेरी सहित)/मधुमक्खी पालन/मत्स्य पालन के लिए किसानों को अल्पावधि ऋणों/प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनःसंरचित ऋणों/गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनःसंरचित ऋणों (प्रत्येक शीर्ष के लिए अलग-अलग दावा प्रस्तुत किया जाना है) पर 1.50% ब्याज सबवेंशन का दावा

बैंक का नाम: _____

मार्ग 20 को समाप्त वर्ष/
अतिरिक्त दावे के लिए विवरण

7% वार्षिक की दर पर कुल अल्पावधि ऋण			दावा की गई सबवेंशन की कुल राशि (वास्तविक रूपए में)
खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरित राशि (लाख रुपए में)		
2 लाख रुपए तक के ऋण			

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत के लिए वर्ष 2022-23/2023-24 हेतु 1.50% ब्याज सबवेंशन के लिए श्रेणी-वार दावा

	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत के लिए 7% वार्षिक की दर पर कुल अल्पावधि ऋण							
	सामान्य			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति	
खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित/आहरित राशि (लाख रुपए में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूपए में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित/आहरित राशि (लाख रुपए में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूपए में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित/आहरित राशि (लाख रुपए में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूपए में)
2 लाख रुपए तक के ऋण								

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए वर्ष 2022-23/ 2023-24 हेतु 1.50% ब्याज सबवेंशन के लिए श्रेणी-वार दाव

	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 7% वार्षिक की दर पर कुल अल्पावधि ऋण							
	सामान्य			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति	
खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित/आहरित राशि (लाख रुपए में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूपए में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित/आहरित राशि (लाख रुपए में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूपए में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित/आहरित राशि (लाख रुपए में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूपए में)
2 लाख रुपए तक के ऋण								

हम वर्ष 2022-23/2023-24 के दौरान केसीसी के माध्यम से पशुपालन (डेरी सहित)/मधुमक्खी पालन/मत्स्य पालन के लिए किसानों को अल्पावधि ऋण के रूप में 7% के वार्षिक ब्याज दर पर 2 लाख तक के उपरोक्त ऋणों को संवितरित करने और आरबीआई के दिनांक 23 नवंबर 2022 के परिपत्र विसविति.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.13/05.02.001/2022-23 के पूर्णतया अनुपालन में और सही ब्याज सबवेंशन दावे की गणना करने के लिए प्रमाणित करते हैं। इसके अतिरिक्त, हम प्रमाणित करते हैं कि आधार संख्या/आधार नामांकन संख्या (ईईएन), उन सभी किसानों की जिनके लिए प्रतिपूर्ति हेतु ब्याज सबवेंशन का दावा किया जा रहा है, कैचर किया गया है और बैंक के पास उपलब्ध है और जहाँ आधार संख्या / ईईएन उपलब्ध नहीं है, वहाँ प्रतिपूर्ति के दावे का कोई मामला नहीं है (असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर)।

बैंक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर एवं हस्ताक्षर

नाम: _____

पदनाम: _____

दिनांक: _____

हम प्रमाणित करते हैं कि _____ से _____ की अवधि के दौरान बैंक द्वारा केसीसी के माध्यम से संवितरित पशुपालन (डेरी सहित)/मधुमक्खी पालन/मत्स्य पालन हेतु किसानों को पात्र अल्पावधि ऋणों पर _____ रुपए के ब्याज सबवेंशन के लिए उपरोक्त दावा सही और सटीक एवं दिनांक 23 नवंबर 2022 के आरबीआई के परिपत्र विसविति.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.13/05.02.001/2022-23 के पूरी तरह से अनुपालन में है। इसके अतिरिक्त, हम प्रमाणित करते हैं कि आधार संख्या/आधार नामांकन संख्या (ईईएन), उन सभी किसानों की जिनके लिए प्रतिपूर्ति हेतु ब्याज सबवेंशन का दावा किया जा रहा है, कैचर किया गया है और बैंक के पास उपलब्ध है और जहाँ आधार संख्या / ईईएन उपलब्ध नहीं है, वहाँ प्रतिपूर्ति के दावे का कोई मामला नहीं है (असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर)।

सांविधिक लेखा-परीक्षक की मुहर और हस्ताक्षर

नाम: _____

फर्म पंजीकरण संख्या: _____

सदस्यता संख्या: _____

यूडीआईएन: _____

दिनांक: _____